उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1885–कार्य/चौदह/पाकालि/2019–23–के/2008 दिनांक : 26 अक्टूबर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ एवं
केस्को, कानपुर

विषय :– ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं को निर्णीत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को में खुली निविदा के माध्यम से सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों / सामग्री के क्रय को पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने एवं निविदा को शीघ्र निर्णीत कराये जाने के उद्देश्य से लागू की गयी ''ई–टेन्डरिंग'' प्रणाली के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाये जाने पर कि कतिपय कारणों से ''ई–टेन्डरिंग'' प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की गयी निविदाओं को भी निर्णीत करने तथा इसके उपरान्त आशय पत्र (Letter of intent) को निर्गत करने में अत्यधिक समय लगाया जा रहा है, जिससे कि ''ई–टेन्डरिंग'' प्रणाली के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में कारपोरेशन के पत्र संख्या–1574–कार्य/चौदह/पाकालि/2019–23–के/2008 दिनांक 26.08.19 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कारपोरेशन के उपरोक्त पत्र में आशय पत्र को विलम्ब से निर्गत किये जाने की स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए एतदद्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) ई–टेन्डरिंग'' प्रणाली के माध्यम से क्रय एवं कार्य हेतु आमंत्रित की गयी समस्त निविदाओं को शीघ्र निर्णीत कराकर अनिवार्य रूप से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि (Last Date of Bid Submission) से 45 दिवसों में आशय पत्र (Letter of intent) को निर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) आशय पत्र (Letter of intent) को निर्गत करनें में यदि विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में प्रबन्ध निदेशक क्रय/कार्य समिति से सम्बन्धित प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी क्रय/कार्य समितियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में निविदाकर्ता प्राधिकारी (Tendering Authority) द्वारा सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक से विलम्ब के कारणों से अवगत कराते हुए उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आशय पत्र (Letter of intent) को निर्गत किया जाएगा। प्रबन्ध निदेशक, क्रय/कार्य समिति के प्रकरणों के सम्बन्ध में विलम्ब की स्थिति में अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

Aparna. U

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1885–कार्य/चौदह/पाकालि/2019–23–के/2008 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, केस्को कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, केस्को कानपुर।
6. अधि0 अभि0 (वेबसाइट)'' शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को अपलोड करने हेतु।

Aparna. U

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक